संख्याः — /XII(1) /2015- 96 (06)/2015

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक : 03 सितम्बर 2015

विषय :–14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में वर्ष 2015–16 हेतु ग्राम पंचायतों को संकमित की गई/संकमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 14 अगस्त, 2015 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में वर्ष 2015–16 हेतु ग्राम पंचायतों को संकमित की गई/संकमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न निर्णय लिए गये हैं:–

1. 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संकमित हो रही/होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि, राज्य सरकार/मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर शासन से प्राप्त मार्ग–निर्देशन उपरान्त व्यय की जायेगी। अवशेष 50 प्रतिशत राशि वित्त विभाग के शासनादेशानुसार ग्राम पंचायत की बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार योजना बनाकर व्यय की जाय।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में रू0 5000.00 (रूपया पांच हजार मात्र) की धनराशि ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना के निर्माण हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के निर्वतन पर रखी जाय।
3. धनराशि के सदुपयोग हेतु योजनाबद्ध रूप से दीर्घकालिक योजना बनाकर ही वित्त आयोग की धनराशि व्यय की जायेगी। इस निमित्त ग्राम पंचायतों द्वारा समन्वित विकास हेतु संचालित योजनाओं को "डॉ0 ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" नाम प्रदान करते हुए कियान्वित की जाय। और इस योजना में अन्य विभागों की योजनाओं से भी धनराशि का अभिसरण किया जा सकेगा।
4. "डॉ0 ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" के हेतु नोडल विभाग पंचायतीराज विभाग होगा।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में वर्ष 2015–16 हेतु ग्राम पंचायतों को संकमित की गई/संकमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग हेतु उक्त दिशा–निर्देशा का अनुपालन करने के साथ ही मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं पर शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव।

संख्याः 1513 (1)/XII /2015-96 (06)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

2– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव